AADHAAR

DAINIK TRIBUNE, Delhi, 2.8.2017

Page No. 9, Size:(5.81)cms X (20.04)cms.

केस फाइलिंग में आधार नंबर लेने का निर्देश

चंडीगढ़, 1 अगस्त (ट्रिन्यू)

पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने निचली अदालतों को निर्देश दिया है कि केस फाइल करते वक्त आधार नंबर की एंट्री सुनिश्चित करें। हाईकोर्ट ने इस संबंध में पंजाब, हरियाणा एवं चंडीगढ़ के सभी जिला एवं सेशन जजों को निर्देश जारी किया है। पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट के रजिस्ट्रार जनरल की ओर से संबंधित अदालतों को पत्र लिखा गया है। पत्र के मुताबिक इस मामले को पहले पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट की एक्जक्यूटिव कमेटी के सामने 17 जुलाई को लाया गया। कमेटी ने तय किया कि पंजाब, हरियाणा और चंडीगढ़ के जिला एवं सेशन जजों को कहा जाये कि केस फाइल करते वक्त आधार नंबर का होना सुनिश्चित करें। पत्र में यह भी कहा गया कि उक्त उद्देश्य के लिए बार के सदस्यों से अनुरोध किया जा सकता है। पत्र में हालांकि आधार को अनिवार्य नहीं किया गया है, लेकिन केस फाइलिंग के वक्त आधार न होने पर इसे उपलब्ध कराने के लिए कहा जा सकता है।